CANCELLED.

cf101

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

निगरानी-3315/2018/सागर/भू.रा.

1 रजनी उर्फ शोभारानी पति स्व. कुवरेश्वर शुक्ला उम्र- 43 वर्ष करीब

निवासी- ग्राम रेगुवां तहसील गढाकोटा जिला सागर म.प्र.

हाल निवास- केला माता मंदिर के पास राजेश मिश्रा के मकान में तिली वार्ड सागर

तह. व जिला सागर म.प्र.

B.O.R. 17 APR 2018

2 विनायक वल्द स्व. कुवरेश्वर शुक्ला उम्र- 9 वर्ष करीब ना.बा. वली माँ रजनी उर्फ शोभारानी ......रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

पवनसुत आत्मज शिवदत्त शुक्ला उम्र- 48 वर्ष करीब

निवासी- कन्या पुत्री शाला के सामने भगत सिंह वार्ड तह. गढ़ाकोटा, सागर ......उत्तरवादी

रिवीजन वि. क.- तारीख प्रस्तुति-

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा - 50 एम.पी.एल.आर.सी.

अधीनस्थ न्यायालय :- श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी रहली जिला सागर म.प्र.

संक्षिप्त विवरण- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता रजनी उर्फ शोभारानी के पति तथा क. 2 विनायक के पिता स्व. कुवरेश्वर शुक्ला की मौजा प.ह.नं.07 रा. नि. मंडल गढाकोटा जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 723/1 जिसका पुराना ख.नं. 599 से निर्मित हुआ रकवा 9.88 हे. जो रजि. बटवारा दिनांक 29/01/1990 के माध्यम से प्राप्त हुआ था। उक्त खेत में से ही ख.नं. 723/2 उत्तरवादी पवनसुत के पिता शिवदत्त को प्राप्त हुआ था। उक्त खेत ख.नं. 723 का रकवा 9.88 हे. यानि 24.75 डिस्मिल एकड करीब है, रजि. बटवारा के ही समय दोनों हिस्सेदार अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर बिना किसी आपत्ति के विवाद के काबिज होकर कृषि कार्य करते आ रहे हैं बटवारे में दक्षिण रोड/सैर तरफ का हिस्सा पुनरीक्षणकर्ता के पति कुवरेश्वर को प्राप्त हुआ था इसका उल्लेख तत्पश्चात ख.नं. 723 के बटांक किये गये तथा 723/1 कुवरेश्वर को प्राप्त हुआ एवं 723/2 शिवदत्त को प्राप्त हुआ जिसका बटवारा होने के पश्चात उत्तरवादी पवनसुत को प्राप्त हुआ। वर्ष दिनांक 03/03/2015 में रिवीजन पुनरीक्षणकर्ता के पति **कुवेरेश्वर** की मृत्यु हो गई तथा उनकी कृषि भूमि से लगी सैर शासन द्वारा पक्के रोड का निमाण भी हो गया। और कुवरेश्वर को प्राप्त हिस्से की जमीन की कीमत बढ़ गई इस कारण उत्तरवादी पवनसुत

रजनी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3315/2018/सागर/भू.रा. रजनी विरूद्ध पवनसुत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री हरीश सक्सेना उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रहली जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 14/अ-6(अ) वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22-03-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-04-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता	

4.1.19

	है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य	